कार्यालय कलेक्टर (स्टेशनरी) जिला दतिया (म.प्र.)

क्रमांक क्यू/स्टे./14-4/2/2020 दतिया दिनांक ....

//विज्ञापन//

जिला दतिया के अंतर्गत सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों के उपयोग में लगने वाली (लेखन सामग्री) स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री वित्तीय वर्ष 2020-21 अनुबंध दिनांक 31.03.2021 तक के लिए खुले बाज़ार से क्रय करने हेतु दरें निर्धारित की जानी है। जिस हेतु स्टेशनरी का व्यवसाय करने वाले संबंधित फर्म/मेसर्स से सीलबंद निविदायें दिनांक 25.08.2020 अपरान्ह 03.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

म.प्र.शासन वाणिज्य एवं रोजगार विभाग भोपाल भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन अधिनियम-2015 के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया गया है।

शासकीय कार्यालयों में संभावित उपयोग की जाने वाली सामग्री एवं अन्य सामग्रियों की सूची अनुसार सामग्री/आयटम के समक्ष दर्शित कम्पनी की दरें अंकित किया जाना अनिवार्य है। उक्त निविदा दिनांक 25.08.2020 तक दोपहर 3.00 बजे तक बंद लिफाफे में पंजीकृत डाक अथवा निविदादाता द्वारा स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर पेश की जा सकेगी जो दिनांक 25.08.2020 को ही तत्काल दोपहर 3.00 बजे तक समिति एवं उपस्थित सदस्यों के समक्ष खोली जावेगी। निविदा के साथ **पांच हजार रूपये** (5000/-) की एफ.डी. अमानत राशि होगी/रहेगी जो कलेक्टर जिला दतिया के नाम से देय होगी। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त निविदा स्वीकार नही की जावेगी। सामग्री एवं आयटम की सूची कार्यालय से विज्ञापन(प्रकाशन उपरांत कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है)।

निविदा की अन्य शर्तें :-

1. निविदा की सामग्री की दर प्रति नग,प्रति रिम,प्रति किलो आदि जैसी भी स्थिति हो निविदा सूची अनुसार दर्शाई जावे। निविदा सामग्री की दर सूची क्रमानुसार अंकित होना आवश्यक है।
2. क्रय की जाने वाली सामग्री की सूची कार्यालयीन समय में कलेक्टर कार्यालय स्टेशनरी शाखा दतिया से प्राप्त की जा सकती है।
3. सामग्री की मांग आदेश जारी होने पर अतिशीघ्र उपलब्ध कराना होगी।
4. निविदा सामग्री की दर स्वीकृत एवं मांग आदेश जारी होने के पश्चात समय-सीमा में सामग्री प्रदान न करने व निर्धारित कम्पनी की सामग्री प्रदाय न करने की दशा में आदेशित सामग्री अन्यत्र खुले बाजार से क्रय की जा सकेगी।उसमें से जो अधिक व्यय/हानि होगी वह राशि निविदा की अमानत राशि से अथवा राजस्व वसूली की भांती वसूल की जावेगी तथा अनुबंध तत्काल समाप्त कर दिया जायेगा।
5. सेम्पल पेपर (10शीटस) जमा करनी होगी। सेम्पल पर हस्ताक्षर करना होगा।
6. निविदादाता द्वारा दी गई सभी दरें समस्त कर युक्त (जी.एस.टी. सहित)होना अनिवार्य है।फर्म पंजीकृत हो तथा फर्म का सेल्स टैक्स का टिन नबंर तथा इन्कम टैक्स का पिन नम्बर एवं वर्ष 2020-21 की इन्कम टैक्स रिटर्न

अस्सिमेंट देना अनिवार्य है। निविदादाता का टिन नम्बर एवं पिन नम्बर व रिर्टन अरिसमेंट की छाया प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

7. निविदा के साथ 5000/-(पांच हजार रूपये मात्र) अमानत राशि एफ.डी.जमा कराये बगैर निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा।
8. क्रय की गई सामग्री का भुगतान शासन निर्देशानुसार आवंटन उपलब्ध होने पर किया जायेगा।निविदादाता द्वारा दी जाने वाली समय-सीमा में भुगतान संबंधी शर्त पर कोई विचार नही किया जायेगा।
9. अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमियों को जाति प्रमाण पत्र तथा पंजीयन प्रमाण पत्र(उद्योग विभाग से प्राप्त) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. वर्क्स डिपार्टमेंट द्वारा संबंधित माप पुस्तिकाओं के अलग-अलग पृष्ठों की अलग-अलग दरें दी जावें।

अपर कलेक्टर
जिला-दतिया(म.प्र.)